

24/10/22
14.10.22

पत्रावली केरा कहीन उक्त पक्ष अनुपस्थित।
वादी क कहीन वादी को घाट-घाट आवाज
लगाई कोई उपजिए नही इन। अतः पत्रावली
अदालत की अदालत हाजरी में खारिज की जाने
है। पत्रावली केवल शुभान होकर कार्रवाई
करना ही क कम्बल ने कह है।



सहायक कलेक्टर, सांघीर
(उपखण्ड अधिकारी, सांघीर)